Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

राजेन्द्र सिह बनाम अवतार सिह आदि

अन्तर्गत धारा:–धारा 188,88,53 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या :– 19 2024

राजस्व विविध संख्या :– 13 /2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
10.01.2024 यह वाद पत्र वादी की ओर से **श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता** द्वारा अन्तर्गत धारा 188,88 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। वाद–पत्र के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट. शीर्षक **राजन्द्र सिह बनाम अवतार सिह आदि** प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.02.2024 को पेश हो।	
22/2/24 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं 11,30 बजे से अधिशाषी मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है अतः बाद वकालतनामा पुनः पत्रावली दिनांक 26.3.24 को पेश हो	
3.03.2024:–पत्रावली आज वादी राजेन्द्र कुमार जरिये अधिवक्ता श्री मनोज अरोडा द्वारा वकलतनामा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारो का पचायत एव रिश्तेदारो ने राजीनामा करवा दिया हैं। इसलिए वादी अब इस दावा को नही चलाना चाहते। वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाया गया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री मनोज अरोडा द्वारा कि गई पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वादपत्र मीयादी खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:32:40 IST
Reason: SelfAttested